

संवाद की शक्ति: कम्यूनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण में प्रतिभागियों का उत्साह बना प्रेरणा का स्रोत



स्टीरिपोर्टर | दुर्ग

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने 25 से 29 जुलाई 2026 तक पांच दिवसीय कम्यूनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। उद्घाटन समारोह में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा यह अवलोकन किया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा 'वाद-मुक्त ग्रामीण भारत' के निर्माण के संकल्प के साथ जिले के पांच चयनित ग्राम—घुघसीडीह, ननकट्टी, अरसनारा, निकुम और कुथरेल—से चयनित कम्यूनिटी मीडियेटर्स को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता, संवादात्मक शिक्षण पद्धति एवं ग्राम स्तर पर

शांति, सामाजिक समरसता एवं वाद-मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को भी निकटता से देखा एवं सराहा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत निकुम से माधव प्रसाद देशमुख, भागवत राम पटेल और मंजुषा मेश्राम, ग्राम पंचायत घुघसीडीह से मोहन सोनी, गोवर्धन बारले व ललिता बारले; ग्राम पंचायत कुथरेल से गीता गजपाल और डॉ. लोकनाथ साहू; ग्राम पंचायत अरसनारा से राधा निषाद एवं बरतूराम निषाद तथा ग्राम पंचायत ननकट्टी से रवि साहू एवं बुद्धि सागर वर्मा सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। इन्हें पोर्टेबिल ट्रेनर्स द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक अत्यंत प्रेरणादायी एवं उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि ग्राम पंचायत

घुघसीडीह से गोवर्धन बारले एवं उनकी धर्मपत्नी ललिता बारले पति-पत्नी के रूप में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। अपनी पारिवारिक एवं सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दोनों ने कम्यूनिटी मीडियेशन के माध्यम से समाज सेवा के अवसर के महत्व को आत्मसात किया है। प्रशिक्षण के दौरान दोनों एक-दूसरे का सहयोग एवं ध्यान रखते हुए अत्यंत उत्साह एवं समर्पण के साथ सहभागिता निभा रहे हैं। उनकी यह सहभागिता न केवल पारिवारिक सामंजस्य एवं आपसी सम्मान का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि जब परिवार संवाद एवं सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ता है, तब वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन सकता है।

सौहार्द, सहमति और सामाजिक समरसता की ओर एक सशक्त कदम, कम्युनिटी मीडियेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। संवाद से समाधान, मध्यस्थता से सम्मान और सौहार्द से सशक्त समाज का निर्माण के मूल उद्देश्य को साकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के प्रेरणादायी नेतृत्व में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी "Community Mediation Towards a Litigation-Free Rural India" स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP), 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2026 तक आयोजित पांच दिवसीय कम्युनिटी मीडियेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ



आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह के साथ किया गया।

कम्युनिटी मीडियेशन अर्थात् सामुदायिक मध्यस्थता ग्रामीण भारत में सामाजिक समरसता, आपसी सौहार्द एवं वैकल्पिक विवाद समाधान की संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं जनहितकारी पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले सामाजिक,

पारिवारिक, पड़ोसी, भूमि एवं अन्य सामुदायिक विवादों का न्यायालयों तक पहुँचने से पूर्व ही आपसी संवाद, सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा वाद-मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण के संकल्प के साथ जिले के पांच ग्राम घुघसीडीह, ननकट्टी, अरसनारा, निकुम एवं कुथरेल का चयन किया गया है।

नाम परिवर्तन

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बालक दास (BALAK DAS) पिता श्री भागवत दास गोस्वामी (BHAGWAT DAS GOSWAMI)

कार्यशाला : पांच दिवसीय कम्यूनिटी मीडियेशन प्रशिक्षण प्रारंभ

सौहार्द सहमति और सामाजिक समरसता की ओर एक सशक्त कदम साबित होगा

दुर्ग। संवाद से समाधान, मध्यस्थता से सम्मान और सौहार्द से सशक्त समाज का निर्माण के मूल उद्देश्य को साकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के प्रेरणादायी नेतृत्व में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी कम्यूनिटी मीडियेशन टुवर्ड्स ए लिटिगेशन फ्री रूलर इंडिया, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा 25 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित पांच दिवसीय कम्यूनिटी मीडियेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह के साथ किया गया।

कम्यूनिटी मीडियेशन अर्थात् सामुदायिक मध्यस्थता ग्रामीण भारत में सामाजिक समरसता, आपसी सौहार्द एवं वैकल्पिक विवाद समाधान की संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं जनहितकारी पहल है। इसका उद्देश्य



ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले सामाजिक, पारिवारिक, पड़ोसी, भूमि एवं अन्य सामुदायिक विवादों का न्यायालयों तक पहुँचने से पूर्व ही आपसी संवाद, सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा वाद-मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण के संकल्प के साथ जिले के पांच ग्राम

घुघसीडीह, ननकट्टी, अरसनारा, निकुम एवं कुथरेल का चयन किया गया है। इन ग्रामों से चयनित कुल 15 कम्यूनिटी मीडियेटर्स इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं, जिन्हें कम्यूनिटी मीडियेशन की संपूर्ण प्रक्रिया, उसके व्यावहारिक पक्षों एवं विवाद समाधान के कौशलों का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ये कम्यूनिटी मीडियेटर्स अपने-अपने ग्रामों में संवाद एवं मध्यस्थता की संस्कृति को सुदृढ़ करते हुए छोटे-छोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक समर्पित समन्वय समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की अध्यक्ष श्रीमती सुषमा लकड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर, व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) सुश्री मुस्कान शर्मा एवं पंकज शर्मा सम्मिलित हैं। इस महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी पहल के सफल आयोजन में जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग का भी योगदान रहा है।

कार्यक्रम • दुर्ग में कम्यूनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण की शुरुआत गांवों में संवाद व मध्यस्थता की संस्कृति को सुदृढ़ करेंगे

स्टिरीरिपोर्टर/दुर्ग

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पांच दिवसीय कम्यूनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

संवाद से समाधान, मध्यस्थता से सम्मान और सौहार्द से सशक्त समाज का निर्माण के मूल उद्देश्य को साकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिरुति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के प्रेरणादायी नेतृत्व में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली द्वारा यह पहल की जा रही है।

कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारिक, पड़ोसी, भूमि और अन्य सामुदायिक विवादों को न्यायालय जाने से पहले संवाद और



कम्यूनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उद्बोधन देते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश।



सहमति के जरिए सुलझाना है। प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भागवतकर के अनुसार अध्यक्ष के, विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में घुघसीडीह, नन्कट्टी, अरसनारा, निकुम और कुथरेल को चुना गया है। इन गांवों से चयनित 15 सामुदायिक मध्यस्थों को प्रशिक्षक समूह द्वारा प्रक्रिया, व्यावहारिक पहलुओं और समाधान कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वे अपने गांवों में सौहार्दपूर्ण समझौते को बढ़ावा देंगे। समन्वय के लिए सुषमा लक्कड़ा, भूपेश कुमार बसंत और मुस्कान शर्मा सहित समिति बनाई

गई है। प्रशिक्षण के बाद ये कम्यूनिटी मीडिएटर्स अपने-अपने ग्रामों में संवाद एवं मध्यस्थता की संस्कृति को सुदृढ़ करते हुए छोटे-छोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं प्रभावी निरुत्तरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा इस महत्वकांक्षी पहल को सफल बनाने हेतु मल्टी सेक्टोरियल एप्रोच को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशु चिकित्सा विभाग सहित

अन्य विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ जिला दुर्ग स्थित विधि महाविद्यालयों सुपना लॉ कॉलेज, भारती लॉ कॉलेज, कल्याण लॉ कॉलेज एवं शंकराचार्य लॉ कॉलेज के प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थीगण का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स (PLVs), स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता भी इस अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप प्रदान करेगी।

सौहार्द, सहमति और सामाजिक समरसता की ओर एक सशक्त कदम : कम्युनिटी मीडियेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम

दुर्ग, 25 जुलाई (देशबन्धु)। संवाद से समाधान, मध्यस्थता से सम्मान और सौहार्द से सशक्त समाज का निर्माण के मूल उद्देश्य को साकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विलासपुर के नेतृत्व में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी कम्युनिटी मीडियेशन टावर्ड ए लिटिगेशन-प्रो रूरल इंडिया स्टैंडर्ड ऑपरेंटिंग प्रोसीजर 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा आज से 29 जुलाई तक आयोजित पांच दिवसीय कम्युनिटी मीडियेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह के साथ किया गया।

कम्युनिटी मीडियेशन अर्थात् सामुदायिक मध्यस्थता ग्रामीण भारत में सामाजिक समरसता, आपसी सौहार्द एवं वैकल्पिक



आज हुआ भव्य शुभारंभ, 29 जुलाई तक चलेगा

विवाद समाधान की संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं जनहितकारी पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले सामाजिक, पारिवारिक, पड़ोसी, भूमि एवं अन्य सामुदायिक विवादों का न्यायालयों तक पहुँचने से पूर्व ही आपसी संवाद, सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के विनोद

कूजूर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा बाद मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण के संकल्प के साथ जिले के पांच ग्राम घुघसोडोह, ननकट्टी, अरसनारा, निकुम एवं कुशरेल का चयन किया गया है। इन ग्रामों से चयनित कुल 15 कम्युनिटी मीडियेटर्स इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं, जिन्हें पौटेनसियल ट्रेनर्स द्वारा कम्युनिटी मीडियेशन की संपूर्ण प्रक्रियाएँ उसके व्यावहारिक पक्षों एवं विवाद समाधान के कौशलों का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ये कम्युनिटी मीडियेटर्स अपने-अपने ग्रामों में संवाद एवं मध्यस्थता की संस्कृति को सुदृढ़ करते हुए छोटे-छोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

उपरोक्त कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक समर्पित समन्वय समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की अध्यक्षता सुधमा लकड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बंसत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर, व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) मुस्कान शर्मा एवं पंकज शर्मा सम्मिलित हैं। यह समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों के सुचारु संचालन, समन्वय एवं प्रभावोत्क्रियान्वयन हेतु निरंतर मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। इस महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी पहल के सफल आयोजन में जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग का भी योगदान >> शेख पूछ 9 पर >

**सौहार्द, सहमति और सामाजिक समरसता की ओर एक सशक्त
कदम : कम्यूनिटी मीडियेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ**

श्रमबिन्दु / दुर्ग

संवाद से समाधान, मध्यस्थता से सम्मान और सौहार्द से सशक्त समाज का निर्माण के मूल उद्देश्य को साकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के प्रेरणादायी नेतृत्व में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी **Community Mediation Towards a Litigation-Free Rural India** स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2026 तक आयोजित पांच दिवसीय कम्युनिटी मीडियेशन



प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह के साथ किया गया।

कम्यूनिटी मीडियेशन अर्थात् सामुदायिक मध्यस्थता ग्रामीण भारत में सामाजिक समरसता, आपसी सौहार्द एवं वैकल्पिक विवाद समाधान की संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं जनहितकारी

पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले सामाजिक, पारिवारिक, पड़ोसी, भूमि एवं अन्य सामुदायिक विवादों का न्यायालयों तक पहुँचने से पूर्व ही आपसी संवाद, सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र

न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा ऋवाद-मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण के संकल्प के साथ जिले के पांच ग्राम घुघसीडीह, ननकट्टी, अरसनारा, निकुम एवं कुथरेल का चयन किया गया है। इन ग्रामों से चयनित कुल 15 कम्प्यूनिटी मीडियेटर्स इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं, जिन्हें कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा कम्प्यूनिटी मीडियेशन की संपूर्ण प्रक्रिया, उसके व्यावहारिक पक्षों एवं विवाद समाधान के कौशलों का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ये कम्प्यूनिटी मीडियेटर्स अपने-अपने ग्रामों में संवाद एवं मध्यस्थता की संस्कृति को सुदृढ़ करते हुए छोटे-छोटे विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

दुर्ग में वाद-मुक्त ग्रामीण भारत की पहल, पांच दिन का कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण आज से

गांवों में अदालत पहुंचने से पहले विवादों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान पर दिया जाएगा ध्यान

सिटी रिपोर्टर | दुर्ग

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-बड़े विवादों के न्यायालय पहुंचने से पहले ही आपसी संवाद और सहमति से समाधान निकालने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग शनिवार से पांच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। यह प्रशिक्षण 25 से 29 जुलाई तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में आयोजित होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार सुबह 8:45 बजे होगा।

यह पहल सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी Community Mediation



Towards a Litigation-Free Rural India' स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर-2026 के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य वाद से समाधान, मध्यस्थता से सम्मान और सौहार्द से सशक्त समाज का निर्माण की अवधारणा को जमीन पर उतारना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने बताया कि अभियान के तहत

जिले के घुघसीडीह, ननकट्टी, अरसनारा, निकुम और कुथरेल गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों से चुने गए 15 कम्युनिटी मीडिएटर्स प्रशिक्षण में भाग लेंगे। उन्हें विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता की प्रक्रिया, व्यवहारिक पहलुओं और विवाद समाधान के कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में

पारिवारिक, सामाजिक, पड़ोसी, भूमि एवं अन्य सामुदायिक विवादों का न्यायालय जाने से पहले ही आपसी संवाद, सहमति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में समाधान करना है। इस पहल को प्रभावी बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मल्टी सेक्टोरियल एप्रोच अपनाई है। इसके तहत राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा पशु चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ जिले के सभी विधि महाविद्यालयों के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा पैरालीगल वालंटियर्स, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी है।

ग्रामीण भारत को वाद- मुक्त बनाने पांच दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

दुर्ग @ पत्रिका, वाद-मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक अपूर्व पहल करते हुए दुर्ग में पांच दिवसीय कम्यूनिटी मीडियेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में सुबह उद्घाटन समारोह के साथ यह प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, जो 29 जुलाई तक चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की मानक संचालन प्रक्रिया 2026 के क्रियान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने यह आयोजन किया है। सामुदायिक मध्यस्थता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, पारिवारिक, पड़ोसी व भूमि संबंधी विवादों को न्यायालयों तक पहुंचने से पूर्व आपसी संवाद से सुलझाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने बताया कि जिले के पांच ग्राम घुघसीडीह, ननकड़ी, अरसनारा, निकुम एवं कुथरेल का चयन किया गया है। इन ग्रामों से चयनित 15 मध्यस्थों को विवाद समाधान के कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।